विदेशी कम्पनियों द्वारा नीतिगत नियंत्रण के विरुद्ध सुरक्षोपाय

5953. **श्री अजीत जोगी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी निवेश संबंधी सरकार की उदार नीति को देखते हुये विदेशी उद्यमियों द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था पर नीतिगत नियंत्रण कर लिये जाने को रोकने के लिये सुरक्षोपाय के रूप में कुछ कदम उठाए गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) भारतीय उद्योग को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना और प्रौद्योगिकीय गत्यात्मकता और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिये उपयुक्त वातावरण का सृजन करना नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिये अवसरों का पूरा लाभ उठाना भी है जो देश के औद्योगिक विकास के हित में है । विदेशी उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों का परिचालन भी देश के मौजूदा कानून और विनियम के अधीन है ।

Bills pending *for* enforcement

5954. SHRI KRISHAN LAL. SHARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

a) the number of Bills passed by Parliament and pending for enforcement as on date;

(b) the Ministry-wise break-up and since when they are pending;

(c) the reasons Cor their non-enforcement; and

(d) by when they are likely to become operative?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) to d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House,.

मध्य प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित पड़े मामले

5955. **श्री अजीत जोगी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में विभिन्न न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों की न्यायालय-वार संख्या कितनी थी ;

(ख) इन न्यायालयों में वर्ष 1992 में निपटाये गये मामलों की तुलना में वर्ष 1993 में कितने मामले निपटाये गये :

(ग) वर्ष 1993 में वकीलों द्वारा की गई हड़ताल से न्यायिक प्रकिया पर कुल मिलाकर क्या प्रभाव पड़ा ;

(घ) उपर्युक्त इकट्ठे हुये मामलों को निपटाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ङ) सरकार वादियों के सामने आ रही कठिनाईयों को दूर करने के लिये वर्ष 1994 में न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने हेतु क्या उपाय करने का विचार रखती है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 31- 2-1993 को मध्य प्रदेश में विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामले निम्नलिखित थे:--

1. **अधीनस्थ न्यायालय :**

(i) जिला न्यायाधीशों के न्यायालय– 2,22,521

(ii) सिविल न्यायधीशों के न्यायालय– 14,02,408

2. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय–48,552

(ख) निपटाये गये मामलों की संख्या:

वर्ष के दौरान

1 अधीनस्थ न्यायालय :	1992	1993
(i) जिला न्यायाधीशों के न्यायालय–	79,500	1,24,061
(ii) सिविल न्यायाधीशों के न्यायालय–	5,26,695	5,22,337
2. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय–	23,063	23,375

(ग) न्यायालयों में वकीलों के उप संजात न होने के कारण मामलों के निपटारे में प्रति कूल प्रभाव पड़ा था ।

(घ) और (ङ) न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या पर विचार करने और उन्हें यथासंभव शीघ्रता से निपटाने के लिये उपायों और साधनों का पता लगाने के लिये मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों की एक बैठक 4 दिसम्बर, 1993 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री ने की थी। सम्मेलन में अंगीकृत संकल्पों को सभी राज्य सरकारों संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय सहित, सभी उच्च न्यायालयों को आवश्यक कार्रवाई के लिये भेज दिया गया है।

महाराष्ट्र और गुजरात में काननी सहायता योजना

5956. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान देश में, विशेषकर महाराष्ट्र और गुजरात में कानूनी सहायता के अन्तर्गत लाभांवित हुये व्यक्तियों की वर्षवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इस योजना के विहित सिद्धांतों को संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) क्या यह सच है कि वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान उक्त राज्यों को इस योजना के अन्तर्गत आबंटित की गई धनराशि को पूरी तरह से उपयोग में नहीं लाया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क), (ग) और (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) विधिक/सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, जिसे अभी प्रवृत्त किया जाना है, विधिक सहायता की पात्रता के लिये आय की अधिकतम सीमा को उच्च न्यायालय तक के मामलों में 6,000 रु० प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 9,000 रु० प्रतिवर्ष और उच्चतम न्यायालय के मामलों के लिये 9,000 रु० प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 12,000 रु० प्रतिवर्ष करता है ।

उत्तर प्रदेश में मुफत कानूनी सहायता

5957. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश में कानूनी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने व्यक्ति लाभान्वित हुये हैं ;